न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–कुमार पाल गौतम,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 53/2017

प्रार्थी	बनाम	**अप्रार्थी**
तुलछाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी थलांजू तहसील व जिला नागौर		नायब तहसीलदार, नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत ।
2. अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ।

आदेश दिनांक– 18-1-18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नायब तहसीलदार नागौर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या–136/2017 सरकार बनाम रामूराम, तुलछाराम को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि पटवारी आरआई की गलत नाप रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी व उसके भाई रामूराम के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर प्रार्थी व उसके भाई को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 07.08.2017 को प्रार्थी को तहसीलदार से जारी नोटिस दोपहर बाद प्राप्त हुआ। नोटिस में प्रार्थी को बताया कि प्रार्थी ने ग्राम थलांजू के खसरा नम्बर 179 रकबा 15 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किया है, इसलिए उसे क्यों नहीं बेदखल किया जाये। प्रार्थी को 08.08.2017 की तारीख पेशी दी गई। प्रार्थी द्वारा ग्राम थलांजू के खसरा नम्बर 179 की किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया। प्रार्थी के खेत में पट्टियां रोपकर तारबंदी की हुई हैं, वह पीढियों से है। खसरा नम्बर 179 के पूर्व की तरफ प्रार्थी व उसके भाई का खेत खसरा नम्बर 202 आया हुआ है तथा खसरा नम्बर 179 के पश्चिम में खसरा नम्बर 179 रास्ते की भूमि पर वास्तविक अतिक्रमण खसरा नम्बर 179 के खातेदारों ने कर रखा है। पटवारी आरआई वगैराह ने जो नाप रिपोर्ट तैयार की, वह रिपोर्ट खसरा नम्बर 179 के खातेदारों से मिलावट कर मौके पर आये बगैर प्रार्थी तथा खसरा नम्बर 202 के खातेदारों की गैर मौजूदगी में तैयार की गई थी। इनके द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट मौके के विपरीत, कानूनी प्रावधानों तथा नियमों के विरूद्ध व फर्जी तथा मिलावटी रिपोर्ट है। नाप चौप रिपोर्ट देखने से स्पष्ट है कि नाप चौप के संबंध में विधि में जो प्रावधान उपबंध व नियम बने हुए है उनकी गौर अवहेलना कर नाप रिपोर्ट तैयार की गई है। नाप रिपोर्ट हमेशा कांकड मुटाम से किये जाने के प्रावधान है। तीन सदस्य टीम की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट है कि नाप चौप कांकड मुटाम से नहीं किया गया और न ही खसरा नम्बर 172 का नाप किया गया, अपितु नाप केवल प्रार्थी के खेत की माठ से करना बताकर झुठी रिपोर्ट पेश की है। केवल खेत का नाप करने का प्रावधान नहीं है, न माठ स्थिर बिन्दू है, माठे अस्थिर होती है तथा हवा आंधियों आदि से सरकती रहती है।

आज से लगभग आठ दस साल पहले खसरा नम्बर 202 के खातेदार द्वारा आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु अपने खसरा नम्बर 202 की भूमि राज्य सरकार को समर्पित की गई थी तथा तत्कालीन

पटवारी ने सम्पूर्ण सही नाप चौप कर समर्पित भूमि को चिन्हित कर आंगनवाडी भवन का निर्माण कराया था, उस वक्त नाप से यह भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 202 में आई थी, लेकिन वर्तमान तीन सदस्य टीम ने खसरा नम्बर 172 के खातेदारों से मिलावट कर उनको नाजायज फायदा पहूंचानें तथा प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की गरज से जो गलत व झुठी नाप रिपोर्ट तैयार की है, उससे आंगनवाडी भवन रास्ता खसरा नम्बर 179 पर होना पाया गया, जिससे साबित है कि तीन सदस्य टीम की नाप रिपोर्ट झूठी, गलत, फर्जी व मिलवाटी है। दिनांक 08.08.2017 को प्रार्थी अप्रार्थी नायब तहसीलदार खींवसर के समक्ष अपने अधिवक्ता के मार्फत उपस्थित हुआ तथा वकालतनामा पेश कर जवाब तथा साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समय चाहा, तब नायब तहसीलदार ने जाहिर किया कि वे जवाब हेतु समय नही दे सकते, क्योंकि उन पर उच्चाधिकारियों व राजनेताओं का आज ही बेदखली का निर्णय करने का दबाव है। बहतु ज्यादा निवेदन करने पर अप्रार्थी ने अपने किसी उच्चाधिकारी से फोन पर बात कर बडी मुश्किल से दो दिन की तारीख दी। कर्मचारियों की हडताल के कारण अधीनस्थ न्यायालय की नकले मिल नहीं सकी है। अप्रार्थी नायब तहसीलदार से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। दिनांक 07.08.2017 की दोपहर बाद प्रार्थी को नोटिस दिया जाता है तथा उसमें भी तारीख 08.08.2017 की तारीख प्रार्थी को दी गई। प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने पर जवाब, साक्ष्य, सबूत पेश करने हेतु समय मांगने व तीन सदस्य नई नाप टीम का गठन कर विधि अनुसार नाप चौप कराने का निवेदन किया गया, मगर नायब तहसीलदार ने इस हेतु पहले तो समय देने से ही इन्कार कर दिया तथा बताया कि उन पर उनके उच्चाधिकारियों जिलाधीश, एसडीओ वगैराह तथा उच्च स्तरीय राजनेताओं का दबाव आज ही बेदखल कर निर्णय करने का है, तत्पश्चात् बडी मुश्किल से जवाब पेश करने हेतु 11.08.2017 की पेशी तारीख यह कहकर दी गई कि दिनांक 11.08.2017 को वे बेदखली का निर्णय पारित करेगें।

इस प्रकार से स्पष्ट रूप से साबित है कि अप्रार्थी के न्यायालय से प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। जवाब के पश्चात् प्रार्थी अपना साक्ष्य सबूत भी पेश करेगा, लेकिन अप्रार्थी प्रार्थी को किसी प्रकार का समय देने को तैयार नहीं है। प्रार्थी तीन सदस्य नई टीम नियुक्त कराकर विधि अनुसार मुस्तकिल बिन्दू से खसरा नम्बर 202, 179 व 172 का नाप कराना चाहता है मगर उसके लिए भी अप्रार्थी सहमत नहीं है। खसरा नम्बर 172 के खातेदारों ने अप्रार्थी पर प्रार्थी को तत्काल प्रार्थी के स्वंय की खातेदारी की भूमि से बेदखल करने का दबाव डला रखा है। इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। मौके पर आवागमन हेतु रास्ता खुला है तथा बाकी रास्ते की भूमि पर खसरा नम्बर 172 के खातेदारों ने अतिक्रमण कर रखा है जिसको हटाने बाबत न तो मुकदमा दर्ज किया गया और न ही नोटिस दिया गया। प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिये जाने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी नायब तहसीलदार नागौर की अदालत में लम्बित प्रकरण संख्या 136/2017 को नागौर जिले के किसी अन्य नायब तहसीलदार को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार कुन्दसिंह आचीणा ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य काल्पनिक, मिथ्या एवं आधारहीन होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं तहसीलदार नागौर की पैरावाईज टिप्पणी का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा नायब तहसीलदार, नागौर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या–136/2017 सरकार बनाम रामूराम, तुलछाराम को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पटवारी व आर.आई. द्वारा खसरा नम्बर 179 के खातेदारों से मिलावट कर नाप चोप के संबंध में विधि के प्रावधानों की अवहेलना कर गलत मौका रिपोर्ट तैयार करने तथा नायब तहसीलदार खींवसर के समक्ष प्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु नायब तहसीलदार ने जाहिर किया कि वह जवाब हेतु समय

नहीं दे सकते क्योंकि उन पर उच्चाधिकारियों व राजनैताओं का आज ही बेदखली का निर्णय करने का दबाव है। तत्पश्चात् नायब तहसीलदार ने अपने किसी उच्चाधिकारी से फोन पर बात कर बडी मुश्किल से दो दिन की तारीख देने एंव तत्पश्चात् बडी मुश्किल से जवाब पेश करने हेतु 11.08.2017 की तारीख पेशी यह कहकर दी गई कि 11.08.2017 को वह बेदखली का आदेश पारित करेगें।

उक्त संबंध में अप्रार्थी ने अपनी पैरावाईज टिप्पणी दिनांक 12.09.2017 के द्वारा पटवारी, आर.आई. व नायब तहसीलदार इत्यादि के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 179 के खातेदारों से मिलावट के संबंध में तथा उच्चाधिकारियों के दबाव के संबंध में लगाये गये आक्षेपों को अस्वीकार करते हुए आरोपो को मनगढत बताया है एंव पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरा नम्बर 179 की नाप रिपोर्ट मौके पर जाकर कानूनी प्रावधानों के तहत् की जाना बताया है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एंव अप्रार्थी द्वारा पैरावाईज टिप्पणी में किये गये कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। बिना किसी ठोस आधार के किसी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस सम्बध मे माननीय राजस्व मण्डल की ही एकल पीठ द्वारा 1994 आर.आर.डी. 117 में यह भी निर्धारित किया गया है कि :– "transfer of a case from a competent court is not a mere formality but it certainly casts a stigma on its Presiding officer it is true that the justice should not only be done but it should appear to have been done. Transferring a case without sufficient or adequate reason even on the basis of consent of the parties or convenience of parties is not called for or cannot be done . There must be a resonable apprehension in the mind of a litigant seeking transfer of a case from the Court of a particular Presiding officer. Mere making any observation by the Presiding officer during hearing an appeal and on the basis of such observations, if any of the parties to the appeal feels that the result of appeal may go against it, it cannot be said that such a party has a reasonable apprehension that it would not get justice in the case,..."

इसी प्रकार 2006–2007 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर. टी. 435 में यह भी निर्धारित किया गया है कि :– "फोरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्याय प्रकिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुंरूपयोग को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिये। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का abuse of the process of Law नही हो।"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नायब तहसीलदार, नागौर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या–136/2017 सरकार बनाम रामूराम, तुलछाराम प्रकरण को अन्यत्र समक्ष न्यायालय में सुनवाई हेतु मुन्तकिल करने हेतु कोई ठोस आधार नही होने से, बिना किसी ठोस कारण के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर आधारित नही होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर